

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 2616

दिनांक 06/12/2022

प्रार्थी :-

1. लूणा पुत्र कस्तुरा,
जाति मेघवाल
निवासी बूठ राठौड़ान
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

विप्रार्थीगण:-

1. मोहनदान पुत्र रतनदान 2. विशनदान पुत्र लालदान
जाति चारण, निवासी बूठ राठौड़ान 3. गेमरा पुत्र पता
4. लूणा पुत्र मेहका 5. वीरा पुत्र अनोपा, जाति मेघवाल,
निवासी बूठ राठौड़ान, 6. मीरू पुत्र जेता, जाति मेघवाल,
निवासी सुन्दर नगर, कोनरा तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत।

राजस्व आवेदन सं. 149/2022

दिनांक : 06.12.2022

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठौड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 630/124 रकबा 06.1512 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेसाईश आप अपने स्तर पर किसी मक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2022/ 2617 to 2620

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी लूणा
3. विप्रार्थीगण मोहनदान वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन
चौहटन

दिनांक 06/12/2022

(भागीरथ)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन